...यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/106

प्रकरण संख्या 71/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री चम्पालाल बनाम तहसीलदार कानोड

–: : निर्णय : :–

दिनांक :–04.10.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम जसवंतपुरा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 75 पर साबिक आराजी नम्बर 347/1 रकबा 5 बीघा यानि 1.08 हैक्टेयर भूमि चम्पालाल पिता शंकरलाल धाकड, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, लालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकर्ड थी। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के रकबे में परिर्वतन हो गया जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

I. यह कि राजस्व ग्राम जसवंतपुरा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 75 पर साबिक आराजी नंबर 347/1 रकबा 5–00 बीघा यानि 1.08 हैक्टेयर भूमि चम्पालाल पिता शंकरलाल धाकड सा. धाकडों का खेडा, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत सा. लूणदा, लालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत सा. झालों का खेडा हि.ब. के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी।

II. यह कि भू–प्रबंधन के बाद साबिक आराजी नंबर 347/1 के हाल नये आराजी नंबर 597 एवं 598 बने है। नवीन राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 53 पर आराजी नंबर 597 रकबा 0.64 हक्टेयर भूमि ही उपरोक्तानुसार खातेदारों के नाम दर्ज हुई एवं आराजी नंबर 598 रकबा 0.44 हेक्टेयर भूमि बिलानाम गै. मू. रास्ता दर्ज कर दी गई जिससे खातेदारों के नाम दर्ज रकबा एवं वर्तमान रकबा में 0.44 हैक्टेयर की कमी हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:00 IST
Reason: SelfAttested

III. यह कि साबिक आराजी नंबर 347/1 मूल साबिक आराजी नंबर 347 में से ही बना है जिसके हाल नये आराजी नंबर 588 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नंबर 595 रकबा 0.70 हैक्टेयर बने है जो की रिकार्ड अनुसार बिलानाम दर्ज है एवं उपरोक्त खातेदारों की भूमि

CamScanner

के पास स्थित है जिनसे कमी हुए खातेदारी रकबे की पूर्ति की जा सकती है। अतः उपरोक्तानुसार खातेदारी भूमि में कम हुआ रकबा 0.44 हैक्टेयर की पूर्ति बिलानाम आराजी नंबर 588 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 595 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि खातेदारों चम्पालाल पिता शंकरलाल धाकड सा. धाकडों का खेडा, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत सा. लुणदा, लालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत सा. झालो का खेडा हि.ब. के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की भू–प्रबंधन के पूर्व मुझ प्रार्थी द्वार 5 बीघा जमीन जरिये बिकाव रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई। भू–प्रबंध के बाद प्रार्थी के हिस्से में कुल भूमि 0.6400 हैक्टेयर भूमि ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। भू–प्रबंधन की टीम द्वारा बिना कोई कानूनी वैध आधार के रकबा कम कर दिया जिसको सही करानें का प्रार्थी को अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम जसवंतपुरा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 75 पर साबिक आराजी नम्बर 347/1 रकबा 5 बीघा यानि 1.08 हैक्टेयर भूमि चम्पालाल पिता शंकरलाल धाकड, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, लालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकर्ड थी। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि के रकबे में परिर्वतन हो गया जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 75 के साबिक आराजी नम्बर 347/1 रकबा 5 बीघा भूमि चम्पालाल पिता शंकरलाल धाकड, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत, लालसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकर्ड थी। साबिक आराजी नंबर 347 मी., 347/1 के नवीन सेटलमेंट के बाद बने नये नंबर 588, 595, 597 एवं 598 बनें। नवीन सेटलमेंट के बाद खाता संख्या 53 पर आराजी नंबर 597 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज हुई। नवीन सेटलमेंट से उपरोक्त खातेदारों के वर्तमान रकबे में 0.44 हैक्टेयर की कमी हो गई।

4. पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्त[illegible]जी नंबर 597 रकबा 0.64 हैक्टेयर पर उक्त खातेदारों का कब्जा होकर काश्त कर रहे है। साबिक नंबर 347 मी., 347/1 के नये आराजी नंबर 588, 595, 597, 598 बने। पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नंबर 595 में खातेदारों का आंशिक कब्जा होना बताया है जिससे प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी के रकबे की पूर्ति के लिए बिलानाम आराजी नंबर 588 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर व आराजी नंबर 595 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर जो की साबिक आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:00 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

347 से ही बनें है एवं उक्त पर प्रार्थी का कब्जा भी है अतः प्रार्थी के कब्जे एवं सेटलमेंट के पुर्व रकबे के अनुसार उक्त आराजी का रकबा भू–प्रबंधन के पुर्व अनुसार सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार कानोड़ की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर यह पाया राजस्व ग्राम जसवंतपुरा तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2051–54 की खाता संख्या 75 पर प्रार्थी की साबिक आराजी 347 मी., 347/1 के नये आराजी नंबर 588, 595, 597, 598 बनें। नवीन सेटलमेंट के बाद रकबे में परिर्वतन हो गया जिससे तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के कम हुए रकबे की पूर्ति के लिए आराजी नंबर 595 में से 0.40 हैक्टेयर (जिस पर खातेदारों का आंशिक कब्जा है) व आराजी नंबर 588 में से रकबा 0.04 हैक्टयेर एवं आराजी नंबर 595 में से 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर प्रस्तावित किया जिसमें आराजी नंबर 595 पर उक्त खातेदारों का आंशिक कब्जा होना बताया। अतः प्रार्थी के रकबे को नवीन सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि से सुधारा जाना आवश्यक है। है। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12. 1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: :आदेशः :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जसवंतपुरा पटवार क्षेत्र सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड़ जिला उदयपुर की बिलानाम आराजी नम्बर 588 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर, आराजी नंबर 595 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर जंहा प्रार्थी का कब्जा है भूमि बिलानाम के बजाय खातेदारों [illegible] धाकड़ सा. धाकडों का खेडा, अमरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपू[illegible] पिता सोहनसिंह राजपूत सा. झालों का खेडा हि. ब. के नाम दर्ज कि[illegible] नक्शा ट्रेस C अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 04.10.2022 को खुल ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:00 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner